

आज श्रीमान ए.सी.एम./एम.डी.एम

साहब दरें/अवकाश पर हैं।

पेशी इस्तफा की जाकर पत्रावली

नारीख 09/09/24 को पेश हो।

29/09/2024 अंश
अंश
नारीख 11/11/24

11/11/24 आज श्रीमान ए.सी.एम./एम.डी.एम
साहब दरें/अवकाश पर हैं।
पेशी इस्तफा की जाकर पत्रावली
नारीख 11/12/24 को पेश हो।

12/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपर अस्थायी दरखास्त दिलाई।
उसमें ई.सी.एम. की उपायों नहीं आने लिखा, इनके
विना संपादन कार्यवाही की जाती है। पत्रावली बंद
करके दिनांक 07/01/25 को पेश है।

07/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपर पत्रावली बंद
करके दिनांक 30/01/25 को पेश है।

30/2025 आज श्रीमान ए.सी.एम./एम.डी.एम
साहब दरें/अवकाश पर हैं।
पेशी इस्तफा की जाकर पत्रावली
नारीख 02/02/25 को पेश हो।

04/03/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित। वकील जार्जी
की बहस सुनी गयी। वकील जार्जी बहस एवं पत्रावली
में उपलब्ध इस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधा
के तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन
एवं अपूरणीय सति जार्जी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः
जार्जी का उर्षाना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजा काश्त
अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के
कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक
19.01.2024 को जारी अस्थायी निषेधा को सूत्रवाड
के निस्तारण तक कन्कर्म किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार लेकर इर्ज नम्बर से कम होकर वाड
तकमील राजिल इफ्तद हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे हाथ
लिखा जाकर सर्रे-रजलास युनाया गया।

04/03/25
(सुखराम फिरोज)
सहायक कलेक्टर
बाय (फलोदी)